मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक एफ 19–53/87/बारह–2 (पार्ट)　　　भोपाल,दिनांक 24 मार्च, 2006

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला..............
मध्यप्रदेश

कलेक्टोरेट, सीहोर
शाखा खनिज
29 MAR 2006
पर्यवेक्षक　कलेक्टर

विषय:– अवैधानिक तरीके से गौण खनिजों के अस्थाई अनुज्ञा(परमिट) जारी करने वाले सरपंचों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में ।

---

2025
31/3/06

जैसा कि विदित है मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम,1996 के नियम 68 के उप नियम (1) में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून, 2002 से अधिसूचित संशोधन अनुसार गौण खनिजों के संबंध में परमिट जारी करने के लिए पंचायतों को दिए गए अधिकार संबंधी प्रावधान का लोप करते हुये ये अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपे गए हैं । साथ ही शासन निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम,1996 के वर्तमान प्रावधान अनुसार गौण खनिजों की खदानों के निवर्तन संबंधी त्रि–स्तरीय पंचायतों को दिए गए समस्त अधिकार पंचायतों से वापस लिए जाकर जिला कलेक्टरों को सौंपे जा चुके हैं ।

उपरोक्त संशोधन प्रदेश में विकास कार्यों के सुचारू रूप सम्पादन एवं खनिज राजस्व की समुचित वसूली एवं गौण खनिजों के नियमानुसार विकास एवं दोहन को सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से किए गए हैं । हाल ही में विधानसभा प्रश्नों /ध्यानाकर्षण के संदर्भ में विभाग को प्राप्त जानकारियों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्तानुसार संशोधन उपरान्त भी कतिपय जिलों में अभी भी पंचायत सचिवों/सरपंचों द्वारा पूर्व अधिकारों जिनका की लोप किया जा चुका है, उनकी आड़ में निजी स्वार्थ के चलते निर्माण ठेकेदारों/आवेदकों को गौण खनिजों के परमिट जारी कर स्वंय रॉयल्टी रसीदें जारी की जा रही हैं जो कि कानूनी अपराध है । सरपंचों का उक्त कृत्य अवैधानिक होने के साथ साथ प्रदेश के खनिज राजस्व को क्षति पहुंचाने वाला है ।

31/3/06

अतः जिले में चल रहे निर्माण कार्यों के ठेकेदारों /एजेन्सियों को उपरोक्तानुसार परमिट प्राप्त करने से रोकने के लिए आवश्यक परामर्श दिया जावे । इस प्रकार से संरपंचों द्वारा जारी परमिटों के आधार पर शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग में लिये जा रहे गौण खनिजों का पता लगाने के लिए तत्काल जांचदल गठित कर जांच कराई जावे । जांच में उल्लेखित अनुसार अनियमितता पाई जाने पर संबंधित पंचायत सचिव/सरपंच के विरूध्द पंचायत राज अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जावे/सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की जाए तथा उनके द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई राशि भी वसूली जावे।

इसप्रकार अवैधानिक रूप से अनुमति प्राप्त कर गौण खनिजों का दोहन कर उपयोग करने वाले ठेकेदारों के विरूध्द भी अवैध उत्खनन प्रकरण दर्ज किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

आवश्यक समझाा जाए तो संबंधित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.देव राज बिरदी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ.कं. एफ 19–53/87/बारह(पार्ट) भोपाल,दिनांक मार्च, 2006

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद/ग्राम पंचायत मध्यप्रदेश

3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

4. समस्त उप संचालक(खनि प्रशासन)/खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(खनि शाखा) जिला................. मध्यप्रदेश ।

5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री(स्व.प्र.) खनिज साधन विभाग, भोपाल

की ओर सूचनार्थ ।

6.गार्ड फाईल

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग